

संख्या— 1743
15/7/2016



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण — पत्र




नवीकरण संख्या—बी—332 / 2016—17

फाइल संख्या—बी—41148

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि— गुरु तेग बहादुर एजूकेशनल सोसाइटी, पुवायां रोड बण्डा, तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर (उ०प्र०) को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र संख्या 697 / 2010—2011 दिनांक—26—11—2010 को दिनांक—26—11—2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1450/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक— 14—07—2016


सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : गुरु तेगबहादुर एजूकेशनल सोसाइटी
 2. संस्था का पता : पुराणा रोड वार्षा, तहसील पुराणा, जिला शाहजहांपुर (उ०प्र०)
 3. संस्था का कार्यक्रम : समस्त उत्तर प्रदेश
 4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1. संस्था द्वारा शिक्षा के विकास हेतु प्रचार-प्रसार करना इस हेतु निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की विभिन्न शिक्षा की प्रबन्ध-व्यवस्था करना तथा आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की प्रबन्ध व्यवस्था करना और ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना करना और समय समय पर मेघावी छात्र/ छात्राओं को पुरुष्कृत व सम्मानित करना व निर्धन छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास आदि की व्यवस्था करना।
2. संस्था द्वारा महिलाओं, युवक एवं बालक-बालिकाओं को स्वाधालन एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित करना तथा महिलाओं, युवक एवं बालक-बालिकाओं को सिलाई, कदई, बुनाई, पैटिंग, फैशन डिजाइनिंग, कम्प्यूटर, तकनीकी, नृत्य एवं म्यूजिक, मोबाइल ट्रेनिंग, बुटीक, ब्लूटीशन, आर्ट आदि शिक्षा की व्यवस्था करना।
3. संस्था द्वारा विकलांगों, मूँक-बधिर, नेत्रहीन लोगों को कल्याण विकास उत्थान हेतु प्रयत्न करना तथा समय-समय पर इनसे सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करना तथा इनसे सम्बन्धित सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना तथा विकलांगों का पुर्ववास की व्यवस्था व विकलांग कृतिम अंगों के लिए शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना व उन्हें अपनाना।
4. संस्था द्वारा गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय, पिछड़े व कमज़ोर वर्गों बालक-बालिकाओं, वृद्धों, महिलाओं व बच्चों के शैक्षिक कल्याण व विकास हेतु प्रयत्न करना, इन्हें सहयोग व सहायता प्रदान करना।
संस्था द्वारा जनसामान्य को निशुल्क स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना व इसकी उचित व्यवस्था करना और समय-समय पर विभिन्न शिविर, कैम्प, केन्द्र आदि की व्यवस्था करना तथा पोलियो, एड्स, नशा खोरी, नशा उन्मूलन, कैंसर, क्षय रोग, डॉग, मरिटिष्ट ज्वर व अन्य गंभीर बीमारियों की रोकथाम मे सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों को अपनाना व उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना तथा आयुर्वेदिक शोधकार्य करना।
5. संस्था द्वारा सांस्कृतिक विकास हेतु प्रयत्न करना, इस हेतु निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठी आदि का आयोजन करना तथा प्रतिमाशाली व्यक्तियों/ कलाकारों/ बच्चों को सम्मानित व पुरुष्कृत करना।
6. संस्था द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट १८६० की धारा १ व २० के अन्तर्गत आते हों। संस्था धारा १ व २० के अन्तर्गत एजूकेशनल वेलफेयर उद्देश्य हेतु पंजीकृत करायी जा रही है।
7. क्रमशः पेज 2

क्रमशः पेज 2

Nomil Singh कार्य प्रतिलिपि

Rajwant Kaur

Dilbag Singh

संस्कृत एवं विद्या

कार्ट टोटो इंडिया एवं चिट्ठा
गुरुही नगर, रुद्रपुर (उ०प्र०)

१६१/१२०३

H.Singh

SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY

H.Singh
SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY

5. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के पवाधिकारियों व सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार रारणा का कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र.सं.	नाम/ पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री नरवेल सिंह पुत्र स्व० बन्ता सिंह	ग्राम हस्तनपुर, पो० वण्डा, तह० पुवांया, जिला शाहजहांपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह	ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग, पो० वण्डा, तह० पुवांया, जिला शाहजहांपुर	सचिव	कृषि
3.	रजवन्त कौर गुरी श्री हरजिन्दर सिंह	खुटार रोड, पुवांया, जिला शाहजहांपुर	कोषाध्यक्ष	कृषि
4.	मी. परीम रिंग पुत्र श्री चरन सिंह	ग्राम रनगरतपुर बुजुर्ग, पो० वण्डा, तह० पुवांया, जिला शाहजहांपुर	रायस्य	कृषि
5.	श्री अरविन्दर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह	ग्राम मुना खामरिया, पो० बलेलपुर तह० पुवांया, जिला शाहजहांपुर।	सदस्य	कृषि
6.	श्री दिलबाग सिंह पुत्र श्री अमन्देव सिंह	ग्राम करतापुर पैठापुर, पो० घिटिया मुहाय, तह० पुवांया, शाहजहांपुर।	सदस्य	कृषि
7.	श्री रंजवर्ण सिंह पुत्र श्री अमिताला सिंह	ग्राम सालापुर, पो० मुडिया कुर्मियात जिला शाहजहांपुर।	सदस्य	कृषि

दिनांक :- 04/09/2013

— Singh

Nomil Singh

इन्हें देखा गया है
मुख्य प्रतिलिपि
प्राप्ति की जाती है।

Rajwant Kaur

Dilbag Singh
कार्य प्रतिलिपि

M
प्राप्ति की जाती है।
मुख्य प्रतिलिपि
प्राप्ति की जाती है। (उपरी)
16/9/2013

— Singh
SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : गुरु तेगबहादुर एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : पुण्यांया रोड कपखा, ताहसील पुण्यांया, जिला शाहजहांपुर (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

कोई भी बालिंग व्यक्ति जो कार्यक्रमों से सहमत हो और जो संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखता ही संस्था का सदस्य बन सकेगा। जो व्यक्ति जिस वर्ग का शुल्क देगा वह उसी वर्ग का सदस्य बन सकेगा।

- (1) साधारण सदस्य
- (2) विशिष्ट सदस्य
- (3) आजीवन सदस्य

साधारण सदस्य : संस्था को मात्र ₹0 100/- वार्षिक सदस्यता शुल्क देने वाला व्यक्ति इस संस्था का साधारण सदस्य कहलायेंगे।

विशिष्ट सदस्य : संस्था को मात्र ₹0 500/- एक मुश्त नगद या इसके समकक्ष चल/अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति 5 साल के लिए इस संस्था के विशिष्ट सदस्य कहलायेंगे।

आजीवन सदस्य : संस्था को मुश्लिंग ₹0 2000/- एक बार में नकद या इसके समकक्ष चल/अचल सम्पत्ति प्रदान करके कोई भी व्यक्ति इस संस्था का आजीवन सदस्य बन सकेगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी :-

1. किसी कारण से सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
2. किसी सदस्य के पागल या दीवालिया हो जाने पर।
3. किसी सदस्य को किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अपराध में लिप्त होने पर, दण्डित किया जाने पर।
4. संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर।
5. लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
6. किसी सदस्य के त्याग पत्र आने व उसके स्वीकार होने पर।
7. संस्था को किसी प्रकार से नुकरान पहुंचाने पर।
8. निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर।

क्रमशः पेज 2

Nosui L Singh

सचिव प्रतिनिधि

L Singh

Rajwant Kaur

Dilby Singh

16/9/2013

प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि

L Singh
SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY

6. संस्था के अंग : दो प्रकार के अंग होंगे -
 (क) साधारण सभा
 (ख) प्रबन्धकारिणी समिति
7. साधारण सभा का गठन, बैठक कोरम सूचना अधिकार गणपूर्ति आदि :-
- गठन : इस नियमावली के पैरा -4 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगा। अपना मत प्रयोग करने पर अधिकार उसी को होगा जिसका शुल्क जमा हुआ हो।
- बैठक : साधारण सभा की सामान्य बैठक एक साल में एक बार होगी परिस्थित अनुसार कभी भी आवश्यक बैठक बुलायी जा सकती/सकेगी।
- बैठकों की सूचना अधिकार : सभी सदस्यों साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 8 दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। यह सूचना व्यवित्तगत अथवा दाक माध्यम से एजेंडा के द्वारा दी जायेगी।
- बैठकों की गणपूर्ति : कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{2}{3}$ बहुमत से सदस्यों की उपस्थित बैठक में होने पर इसकी बैठकों का कोरम पूरा होगा। इस प्रकार बैठकों का कोरम $\frac{2}{3}$ होगा। कोरम की प्रतिक्षा निरिचित समय से आघात बाद तक की जायेगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन व उत्तरांश :

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर हर साल के अन्तिम सप्ताह में होगा। इससे सलाना बजट पर विचार होगा। इसकी सूचना सदस्यों को एक माह पूर्व दी जायेगी।

साधारण सभा के कार्य एवं अधिकार :

- 1) समिति के अगले साल के बजट का अनुमोदन करना।
- 2) संस्था की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना।
- 3) संस्था सम्बन्धी किये जाने वाले कार्यकलापों पर विचार करना तथा उनकी स्वीकृति देना।
- 4) संस्था की चल/ अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था आदि करना।
- 5) प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।
- 6) नीति निर्धारण करना।
- 7) संस्था की प्रबन्ध समिति में होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।

क्रमशः पृष्ठ 3

Ram Singh

Rajwant Kaur *Dilbag Singh*

SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY

गुरु तेग बहादुर
साधारण सभा
प्रबन्धकारिणी समिति

वाहन रजिस्ट्राय
बाल शोभाइटीज एवं चिंदू
बालों मंडल, बरेती (उत्तरांश)

16/9/2018

४. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, बैठक, कोरम, सूचना अधिकारी :-
साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा जिसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे। जिनमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होंगे, जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटायी व बढ़ायी जा सकती है।

चुनाव प्रक्रिया : चुनाव प्रक्रिया में वह सभी सदस्य भाग जो सकेंगे जिन्होंने नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा करके उपित रसीद प्राप्त कर ली हो तथा जिन्हें साधारण सभा के गठन के अनुसार मत देने का अधिकार हो। साधारण सभा द्वारा चुनाव के लिये आहूत की गयी नियमानुसार बैठक में समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव कम से कम एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक के द्वारा होना अनिवार्य होगा।

बैठक : प्रबन्ध समिति की सामान्य बैठकें एक साल में चार बार होगी तथा आवश्यकता होने पर कभी भी विशेष बैठक का आयोजन हो सकेगा।

सूचना : सामान्य बैठक की सूचना पांच दिन पहले व विशेष बैठक की सूचना अधिक 24 घन्टे पूर्व होगी। सूचना एजेण्डा से खाक अथवा व्यवितरण माध्यम से दी जायेगी।

गणपूर्ति : 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति हो जाने पर बैठकों का कोरम पूर्ण होगा। इस प्रकार कोरम 2/3 होगा। कोरम की प्रतीक्षा निश्चित समय से आधा घंटा बाद तक की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

- 1) संस्था का उचित रूप से संचालन करना।
- 2) संस्था को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- 3) संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
- 4) संस्था के विकास कार्यक्रमों को तैयार करना तथा साधारण सभा को स्वीकृति क्रियान्वित करना।
- 5) संस्था की रोकद तथा कीमती दस्तावेज की जांच करना।
- 6) संस्था की धनराशि पर नियन्त्रण रखना।
- 7) संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति करना।
- 8) संस्था के हित में उचित निर्णय करना तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- 9) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक, वित्तीय संस्थान व अन्य स्रोतों से ऋण, दान, अनुदान, सहायता व अन्य धनराशि जारी प्राप्त करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकाल की अवधि 5 साल होगी।

क्रमशः पेज 4

Nomil Singh, Secretary — Singh

Rajwant Kaur
Dilbag Singh

M
काम्हा दानानाथ एवं चिद्वा
देवी देवल, परंपरी (उ०००)

S. Singh
SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY

पर्व-पंचमिति समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

- अध्यक्ष : 1) समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
 2) समिति की कार्यवाही पर हस्ताक्षर करना।
 3) संस्था की देखभाल करना व मार्ग दर्शन करना।
 4) आपात कालीन स्थिति में आवश्यक बैठक बुलाना।
 5) समान भत होने पर एक अलग मत देने का अधिकार होगा।

- सचिव : 1) संस्था को प्राप्त होने वाला समस्त दान, अनुदान, चन्दा व अन्य धनराशि आदि प्राप्त करना।
 2) समिति की ओर समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
 3) संस्था के पथ रो एवं पक्ष गें होने वाले समरत प्रपत्रों, इकारारनामों व बैनामों आदि पर हस्ताक्षर करना।
 4) संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति, वेतन वृद्धियों तथा देय धनराशि का भुगतान स्वीकृत करना।
 5) संस्था से राष्ट्रगणित गामलों में समिति तथा सभी की समस्त कानूनी कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करना तथा उन कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना व समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
 6) आवश्यकतानुसार सभी बैठकें बुलाना, बैठकों का एजेन्डा जारी करना बैठकों को वृत लिखना/ लिखावाना और संस्था के प्रबन्ध एवं प्रशासन सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार, रजिस्टरों, पुस्तकों का अभिलेख करना।
 7) बैंक में जमा संस्था के धन के हिसाब को कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित करना।

कोषाध्यक्ष :

- 1) समिति का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
 2) संस्था की समस्त प्राप्तियों की रसीद रखना।
 3) सचिव के निर्देशानुसार कार्य करना।
 4) आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।
 5) बैंक में जमा संस्था के धन के हिसाब को सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित करना।

Narain Singh

T.Singh

क्रमशः पैज 5

Rajwant Kaur

SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY

Dilbag Singh

16/9/2013
प्रमुख दोषादातीय लक्ष्मण चिंटु
प्रोफेसर इमरान लक्ष्मण (क.स.2)

Singh
SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY

10. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा की विशेष बैठक में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संस्था के नियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया होगी तथा उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए एवं प्रथम प्रबन्ध समिति तदोपरान्त साधारण सभा में 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संशोधन परिवर्तन हो सकेगा।

11. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट अफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जो सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाला व संचालित किया जायेगा।

12. संस्था के लेखा परीक्षण/आडिट :

प्रतिनियं अथवा जागरूकता अनुसार कभी भी संस्था के आय-व्यय की जांच आईटर से, कराई जायेगी और जांच आख्या प्रबन्धकारिणी समिति मे प्रस्तुत की जायेगी और इसकी वार्षिक बैलेन्स शीट तैयार की जायेगी।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व : यदि संस्था कोई वाद दायर करती है अथवा संस्था के विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में आता है तो इसकी पैरबी संस्था के सचिव द्वारा की जायेगी।

14. संस्था के अगिलेख :- संस्था के निम्नांकित अगिलेख होंगे। अभिलेखों की तैयारी हिन्दी अथवा अंग्रेजी लिपि में रखी जा सकती है।

- (1) संस्था रजिस्टर
- (2) कार्यवाही रजिस्टर
- (3) स्टाक रजिस्टर
- (4) कैश बुक, लेजर आदि।
- (5) एजेंडा रजिस्टर।

संस्था के विपलन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही :

उन परिस्थितियों में जब कि संस्था विघटित हो जायेगी अथवा संस्था का विपलन हो जायेगा तो इसकी चल व अचल सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

लैकामुनि सत्य प्रतिलिपि

दिनांक:- 04/09/2013

Nomil Singh

Rajwant Kaler

Dilbag Singh

16/9/2013

गुरु तेग बहादुर एवं बाल विद्यालय
गुरु तेग बहादुर एवं बाल विद्यालय

T.Singh
SECRETARY
GURU TEG BAHADUR
EDUCATIONAL SOCIETY